

पत्रांक-7/झारखण्ड0आ10-20/01/07 का.- 12 817 (3-5) 26

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

फिदेलिस टोप्पो, भा.प्र.से.
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी।

रांची, दिनांक 17.11.10

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के
अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) की
समेकित अद्यतन सूची।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि कार्मिक, प्रशासनिक
सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र संख्या-1816, दिनांक 31.03.2010 द्वारा झारखण्ड पदों
एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े
वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 (अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची) एवं
अनुसूची-2 (पिछड़े वर्गों की सूची) में अंकित जातियों की सूची भेजी गयी थी।

झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-9
की उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा दी गयी सलाह के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा
विभिन्न जातियों को अनुसूची-1 (अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची) एवं अनुसूची-2 (पिछड़े
वर्गों की सूची) में सम्मिलित किया गया है।

अतः झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत घोषित
अनुसूची-1 (अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची) एवं अनुसूची-2 (पिछड़े वर्गों की सूची) की
परिवर्धित सूची एतद् द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुलग्नक-8 पेज

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव।

28

झारखण्ड राज्य
अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची
(अनुसूची-1)

क्र०	जाति / समुदाय	Entry No.	Caste/Communities
1.	कपरिया	1.	Kapadiya
2.	कानू	2.	Kanu
3.	XXX	3.	XXX
4.	कलन्दर	4.	Kalandar
5.	कोछ	5.	Kochh
6.	कुड़मी / कुर्मी (महतो)	6.	Kudmi/Kurmi (Mahto)
7.	केवट (कउट)	7.	Kewat (Kaut)
8.	कादर	8.	Kadar
9.	XXX	9.	XXX
10.	कोरक	10.	Korak
11.	केवर्त	11.	Kewart
12.	XXX	12.	XXX
13.	खटवा	13.	Khatwa
14.	XXX	14.	XXX
15.	खतौरी	15.	Khatauri
16.	खंगर	16.	Khangar
17.	खटिक	17.	Khatik
18.	खेलटा	18.	Khelta
19.	खतवे	19.	Khatwe
20.	XXX	20.	XXX
21.	गोड़ी (छावी)	21.	Godi (Chhavi)
22.	गंगाई (नगेश)	22.	Gangai (Nagesh)
23.	गंगोता	23.	Gangota
24.	XXX	24.	XXX

27

25.	गधर्व	25.	Gandharb
26.	गुलगुलिया	26.	Gulguliya
27.	गौड़ (मगदा गौड़/महाकुड़/ गोप, ग्वाला (पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां जिलों के लिए)	27.	Gour (Magda Gour/Mahakur/ Gope, Guwala (For Districts East Singhbhum, West Singhbhum & Saraikela- Kharsawan only)
28.	चांय	28.	Chain
29.	चपौता	29.	Chapota
30.	चन्द्रवंशी (कहार)	30.	Chandrabansi (Kahar)
31.	टिकुलहार	31.	Tikulhar
32.	ढेकारू	32.	Dhekaru
33.	तांती (ततवा)	33.	Tanti (Tatwa)
34.	तमरिया	34.	Tamaria
35.	तुरहा	35.	Turha
36.	तियर	36.	Tiar
37.	थारू	37.	Tharu
38.	धानुक	38.	Dhanuk
39.	धामिन	39.	Dhamin
40.	धीमर	40.	Dhimar
41.	धनवार	41.	Dhanwar
42.	नोनिया	42.	Nonia
43.	नइया	43.	Naiya
44.	नाई (हजाम)	44.	Nai (Hajam)
45.	नामशूद्र	45.	Namshudra
46.	पाण्डी	46.	Pandi
47.	पाल (भेड़िहार गड़ेरी)	47.	Pal (Bherihar Gareri)
48.	प्रधान	48.	Pradhan
49.	पिनगनिया	49.	Pingania

50.	पहिरा	50.	Pahira
51.	वारी	51.	Wari
52.	बेलदार	52.	Beldar
53.	बिन्द	53.	Bind
54.	XXX	54.	XXX
55.	सेखड़ा	55.	Shekhara
56.	बागदी - बागती (बागची)	56.	Bagdi-Bagth (Bagchi)
57.	भुईयार	57.	Bhuiyar
58.	भार	58.	Bhar
59.	XXX	59.	XXX
60.	भास्कर	60.	Bhaskar
61.	माली	61.	Mali
62.	मंगर	62.	Mangar
63.	मदार	63.	Madar
64.	मल्लाह (सुरहिया)	64.	Mallah (Surhia)
65.	मझवार	65.	Majhwar
66.	मारकण्डे	66.	Markandey
67.	मौरियारी	67.	Moriyari
68.	मलार (मालहोर)	68.	Malar (Malhor)
69.	मोलिक	69.	Molik
70.	राजधोबी	70.	Rajdhobi
71.	राजभर	71.	Rajbhar
72.	रंगवा	72.	Rangwa
73.	वनपर	73.	Banpar
74.	XXX	74.	XXX
75.	सौटा (सोता)	75.	Souta (Sota)
76.	XXX	76.	XXX

77.	XXX	77.	XXX
78.	अधोरी	78.	Aghouri
79.	अबदल	79.	Abdal
80.	कसाव (कसाई) (मुस्लिम)	80.	Kasab (Kasai) (Muslim)
81.	चीक (मुस्लिम)	81.	Chik (Muslim)
82.	डफाली (मुस्लिम)	82.	Dafali (Muslim)
83.	धुनिया (मुस्लिम)	83.	Dhunia (Muslim)
84.	धोबी (मुस्लिम)	84.	Dhobi (Muslim)
85.	नट (मुस्लिम)	85.	Nut (Muslim)
86.	पमरिया (मुस्लिम)	86.	Pamaria (Muslim)
87.	भटियारा (मुस्लिम)	87.	Bhathiyara (Muslim)
88.	भाट (मुस्लिम)	88.	Bhat (Muslim)
89.	मेहतर, लाल बेगिया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम)	89.	Mehtar, Lalbegia, Halalkhor, Bhangi (Muslim)
90.	मिरियासीन (मुस्लिम)	90.	Miriasin (Muslim)
91.	मदारी (मुस्लिम)	91.	Madari (Muslim)
92.	मोरशिकार (मुस्लिम)	92.	Morshikar (Muslim)
93.	साई (मुस्लिम) (शाह, फकीर, मदार, देवान)	93.	Saien (Muslim) (Shah, Fakir, Madar, Dewan)
94.	मोमिन (मुस्लिम) (शेख, जुलहा, अंसारी)	94.	Momin (Muslim) (Shekh, Julaha, Ansari)
95.	अमात	95.	Amat
96.	चुड़ीहार (मुस्लिम)	96.	Churihar (Muslim)
97.	प्रजापति (कुम्हार)	97.	Parjapati (Kumhar)
98.	राईन या कुजरा (मुस्लिम)	98.	Raen or Kunjara (Muslim)
99.	सोय	99.	Soy
100.	ठकुराई (मुस्लिम)	100.	Thakurai (Muslim)
101.	नागर	101.	Nagar

102.	शेरशहवादी	102.	Shershawadi
103.	बलखो (मुस्लिम)	103.	Balkkho (Muslim)
104.	अदरखी	104.	Adarakhi
105.	छिपी	105.	Chhipy
106.	तिलि / एकादश तिलि / द्वादस तिलि / एकादश तेली / द्दारश तेली	106.	Tili/Ekadash Tili/Dwadesh Tili/Ekadash Teli/Dwadesh Teli
107.	इदरीसी / दर्जी (मुस्लिम)	107.	Idirisi/Darzi (Muslim)
108.	सेकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम)	108.	Saikalgar (Sikalgar) (Muslim)
109.	लेट	109.	Lait
110.	कुनाई	110.	Kunai
111.	पुष्पनामित	111.	Pushpanamit
112.	झोरा	112.	Jhora
113.	बागाल / खण्डवाल	113.	Bagal/Khandwal
114.	सिन्दुरिया	114.	Sinduria
115.	खैरा	115.	Khaira
116.	दांगी	116.	Dangi
117.	परघा / परिघा / पैरघा	117.	Pargha/Parigha/Pairgha
118.	मयरा (मैरा) मोदक	118.	Mayra (Maira) Modak
119.	बढ़ई	119.	Barhi
120.	कमार (लोहार / कर्मकार / मडैया)	120.	Kamar (Lohar/Karmkar/ Maraiya)

नोट :- उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, उन्हें हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जाति को समझना चाहिए।

20

पिछडे वर्गों की सूची

(अनुसूची-2)

क्र०	जाति / समुदाय	Entry No.	Caste/Communities
1	XXX	1	XXX
2	कागजी	2	Kagji
3	XXX	3	XXX
4	कुशवाहा (कोईरी)	4	Kuswaha (Koiri)
5	कोस्ता	5	Kosta
6	गद्दी	6	Gaddi
7	घटवार	7	Ghatwar
8	XXX	8	XXX
9	चनऊ	9	Chanau
10	जदुपतिया	10	Jadupatia
11	जोगी (जुगी, गोसाई)	11	Jogi (Jugi, Gosai)
12	तमोली	12	Tamoli
13	तेली / कुलू / गोराई	13	Teli/Kulu/Gorai
14	देवहार	14	Dewhar
15	नालबंद (मुस्लिम)	15	Nalband (Muslim)
16	XXX	16	XXX
17	परथा	17	Partha
18	XXX	18	XXX
19	बरई	19	Barai
20	बनिया (सूढी, हलवाई, XXX, XXX, XXX रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार, कलाल / एसकी / राकी एवं वियाहुत कलवार, जायसवाल / जैशवार, पटवा,	20	Bania (Sundi, Halwai, XXX, XXX, XXX, Roniar, Pansari, Modi, Kasera, Kesarwani, Thathera, Kalwar, Kalal, Araqu/Raki and Bihayut, Kalwar, Jaiswal/Jaishwar, Patwa, Kamlapuri, Vaishya, Bania, Mahauri, Vaishya, Awadh Bania, Bangi Vaishya (Bangali Baniya) Barnwal, Agrhari

	कमलापुरी, वैश्य, बनिया, माहुरी, वैश्य, अवध बनिया, बगी वैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य (पोद्दार, कसोधन), गंधवनिक / ओमर / उमर वैश्य / वैश बनिया एवं एकादश बनिया /		Vaishya (Poddar, Kasodhan), Gandhbanik/Omar/Umar Vaishya Vardh Bania and Ekadash Bania
21	मुकरी (मुकेरी) (मुस्लिम)	21	Mukri (Mukeri) (Muslim)
22	यादव (ग्वाला, अहिर, गोप, घासी, मेहर) (सदगोप / महाकुल / महकुर)	22	Yadav (Gwala, Ahir, Gope, Ghasi, Mchar) (Sadgop/Mahakul/Mahkur)
23	राजवंशी (रिसिया या पोलिया)	23	Rajbansi (Risia or Polia)
24	रंगरेज (मुस्लिम)	24	Rangrej (Muslim)
25	रौतिया	25	Rautiya
26	XXX	26	XXX
27	लहेड़ी	27	Lahari
28	शिवहरी	28	Shivhari
29	सोनार (सुवर्ण वनिक)	29	Sonar (Suwarnabanik)
30	सूत्रधार	30	Sutradhar
31	सुकियार	31	Sukiyar
32	XXX	32	XXX
33	ईसाई धर्मावलम्बी (हरिजन)	33	Ishai Dharmawalambi (Harijan)
34	ईसाई धर्मावलम्बी (अन्य पिछड़ी जाति)	34	Ishai Dharmawalambi (Any Pichhri Jati)
35	कुर्मी, जसवार कुर्मी एवं चन्देल / चन्दरु कुर्मी (जिनके पूर्वज बिहार से आकर बसे हैं)	35	Kurmi, Jaswar Kurmi and Chandel/Chandou (Ancestor of whom settled from Bihar)
36	भाट (हिन्दू)	36	Bhat (Hindu)
37	XXX	37	XXX
38	कुल्हैया	38	Kulhaiya

18

39	वैरागी / वैष्णव (विष्टम / वैष्टम)	39	Bairagi (Baishnav/Bishtam/Bai Jitani)
40	पाईक	40	Paik
41	लक्ष्मी नारायण गोला	41	Laxmi Narayan Gola
42	चासा	42	Chasa
43	XXX	43	XXX
44	कयाली	44	Kayali

नोट :- उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिए।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प 768/
118/2019

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची-1 तथा अनुसूची -2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि "चसियार" जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-II) के क्रमांक-42 में दर्ज जाति "चासा" के प्रकोष्ठ में "चासा (चसियार)" के रूप में दर्ज किया जाय, के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धित की जाय :-

"चसियार" जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-II) के क्रमांक-42 में दर्ज "चासा" जाति के स्थान पर "चासा (चसियार)" दर्ज किया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

23/11/19
(एस0के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव।

कृ०प०ऊ०

26

ज्ञापांक 14/11 नि - 12-08/2005/राँची, दिनांक 7.6.81 150- 1/8/14

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजे।

1/8/14
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 7681/राँची, दिनांक 1/8/2014

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग/निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

1/8/14
सरकार के प्रधान सचिव।

38

पत्र संख्या-14/जा0नि0-19-08/2005 का0.....

2015 (म)

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग,
त्रिकूट-1, भिकाजी कामा पैलेस,
नई दिल्ली-110066

राँची, दिनांक- 03/05/2015

विषय:- झारखण्ड राज्य की चासा (चसियार) को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी संकल्प सं0-7681, दिनांक-01.08.2014 की एक प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में झारखण्ड राज्य की चासा (चसियार) जाति का नाम सम्मिलित करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

03/05/2015
सरकार के उप सचिव।
01/1/1998

34

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

2361

12.03.2015

विषय:—झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची-1 तथा अनुसूची-2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि बनिया (बनवार) जाति को झारखण्ड के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 में दर्ज बनिया के प्रकोष्ठ में दर्ज उपजाति वैश बनिया एवं एकादश बनिया के बाद बनिया (बनवार) को समावेशित किया जाय, के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धित की जाय।


परिवर्द्धित स्वरूप निम्न प्रकार है:-

क्रमांक-20:— बनिया (सूडी, हलवाई, रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार, कलाल/एराकी/राकी एवं वियाहुत कलवार, जायसवाल/जैशवार, पटवा, कमलापुरी, वैश्व, बनिया, माहुरी, वैश्य, अवध बनिया, बगी वैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य (पोद्दार, कसोधन), गंधवनिक/ओमर/उमर वैश्य/वैश बनिया एवं एकादश बनिया, बनिया (बनवार)।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(एन0 एन0 पान्डेय) 11.3.15
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-14/जा0नि0-03-09/2014 का0.....2361...../ राँची, दिनांक- 12 मार्च, 2015

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(एन0 एन0 पान्डेय) 11.3.15
अपर मुख्य सचिव।


कृ०पृ०उ०

33

ज्ञापांक-14/जा0नि0-03-09/2014 का0.....2361...../ राँची, दिनांक- 12 मार्च, 2015


प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/ निगमों/ निकायों/ परिषदों/ विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।


(एन0 एन0 पान्डेय) 11.3.15
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-14/जा0नि0-03-09/2014 का0.....2361...../ राँची, दिनांक- 11 मार्च, 2015

प्रतिलिपि :- सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट-1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली-110066/ निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।


(एन0 एन0 पान्डेय) 11.3.15
अपर मुख्य सचिव।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

3556
20/04/2015

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची -1 तथा अनुसूची -2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि "राजभट (मुस्लिम) जाति को झारखण्ड के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-88 में दर्ज भाट (मुस्लिम) जाति के साथ भाट/राजभट (मुस्लिम) के रूप में दर्ज किया जाय," के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में निम्नरूपेण परिवर्द्धित की जाय:

परिवर्द्धित स्वरूप निम्न प्रकार है :-

क्रमांक-88- भाट/राजभट (मुस्लिम)।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

17/4/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-14/जा0नि0-03-06/2014 का.-/रांची, दिनांक

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

hi 12/4/15
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-14/जा0नि0-03-06/2014 का.-/ रांची, दिनांक

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/निगमों/ निकायों /परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

hi 12/4/15
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-14/जा0नि0-03-06/2014. का.-/रांची, दिनांक

प्रतिलिपि :- सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट-1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली-110066/निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

hi 12/4/15
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

107

संकल्प

विषय:- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची-1 तथा अनुसूची-2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि "गंधबनिया जाति को झारखण्ड के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 में दर्ज बनिया के प्रकोष्ठ में दर्ज उपजाति गंधबनिक के साथ "गंधबनिक/गंधबनिया" के रूप में समावेशित किया जाय," के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जाय।

परिवर्द्धित स्वरूप निम्न प्रकार है:-

क्रमांक-20:- बनिया (सूढ़ी, हलवाई, रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार, कलाल/एराकी/राकी एवं वियाहुत कलवार, जायसवाल/जैशवार, पटवा, कमलापुरी, वैश्य, बनिया, माहुरी, वैश्य, अवध बनिया, बगी वैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य (पोद्दार, कसोधन), गंधबनिक/गंधबनिया/ओमर/उमर वैश्य/वैश बनिया एवं एकादश बनिया, बनिया(बनवार)।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-

(एस0 के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-14/जा0नि0-03-07/2014 का0...../राँची, दिनांक- जून, 2015

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-14/जा0नि0-03-07/2014 का0...../राँची, दिनांक- जून, 2015

प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-14/जा0नि0-03-07/2014 का0.....5422...../राँची, दिनांक- 18 जून, 2015

प्रतिलिपि:- सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट-1, भिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली-110066/निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

01/06/15

8

106

संचिका सं.-14/जा0नि0-03-07/2014 का0.....
झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

5422
18/6/15

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची -1 तथा अनुसूची- 2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि "गंधबनिया जाति को झारखण्ड के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 में दर्ज बनिया के प्रकोष्ठ में दर्ज उपजाति गंधबनिक के साथ "गंधबनिक/गंधबनिया" के रूप में समावेशित किया जाय," के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जाय।

परिवर्द्धित स्वरूप निम्न प्रकार है :-

क्रमांक-20 :- बनिया (सूढ़ी, हलवाई, रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठटेरा, कलवार, कलाल/एराकी/राकी एवं वियाहुत कलवार, जायसवाल/जैशवार, पटवा, कमलापुरी, वैश्य, बनिया, माहुरी, वैश्य, अवध बनिया, बगी वैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य (पोद्दार, कसीधन), गंधबनिक/गंधबनिया/ओमर/उमर वैश्य/वैश बनिया एवं एकादश बनिया, बनिया(बनवार)।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Li 15/6/15
(एस0के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव।

कृ०पृ०उ०

105

ज्ञापांक-14/जा0नि0-03-07/2014 का.- 5422/

रांची, दिनांक 18/6/15

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

18/6/15
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-14/जा0नि0-03-07/2014 का.- 5422/

रांची, दिनांक 18/6/15

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपकर्मों/ निगमों/ निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

18/6/15
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-14/जा0नि0-03-07/2014 का.- 5422/

रांची, दिनांक 18/6/15

प्रतिलिपि :- सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट-1, मिखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली-110066/निदेशक (एस0 सी0 डी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने के संबंध में यथा स्थिति कार्रवाई की जाय।

18/6/15
सरकार के प्रधान सचिव।

संकल्प

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची -1 तथा अनुसूची -2 में कतिपय संशोधन।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि "तेली (कुलु/गोराई)" जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में समावेशित/दर्ज किया जाय तथा पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-13 से तेली (कुलु/गोराई) जाति को विलोपित किया जाय," के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जाय:-

समावेशन(अनुसूची-1)

(i) तेली (कुलु/गोराई) जाति को क्रमांक- 120 के बाद रिक्त क्रमांक- 121 पर दर्ज किया जाय।

विलोपन(अनुसूची-2)

(i) चूँकि तेली (कुलु/गोराई) जाति अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक - 121 पर समावेशित किया गया है, अतएव तेली (कुलु/गोराई) जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक - 13 से विलोपित किया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(रतन कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-14/जा0नि0-03-06/2014 का.- 6548 /रांची, दिनांक 23/07/2015

प्रतिलिपि :- नॉडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

र. उ. म.
23/07/15
सरकार के सचिव।
A94

संकल्प

राँची दिनांक/12/2015

विषय : सूढ़ी (सूड़ी/सूंडी) जाति को झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक- 20 पर दर्ज बनिया की उपजाति "सूढ़ी" को विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में सम्मिलित करने के संबंध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि " सूढ़ी (सूड़ी/सूंडी) जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-20 पर दर्ज बनिया की उपजाति सूढ़ी को विलोपित करते हुए सूढ़ी (सूड़ी/सूंडी) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में दर्ज किया जाय," के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन/विलोपन की जाय:-

समावेशन(अनुसूची-1)

(i) सूढ़ी (सूड़ी/सूंडी) जाति को क्रमांक- 121 के बाद रिक्त क्रमांक- 122 पर दर्ज किया जाय।

विलोपन(अनुसूची-2)

(i) चूँकि सूढ़ी (सूड़ी/सूंडी) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक - 122 पर समावेशित किया गया है, अतएव सूढ़ी जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक - 20 से विलोपित किया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(रतन कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-14/जा0नि0-03-08/2015 का.- 10760.../रांची, दिनांक 18/12/2015
प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा
राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु
प्रेषित।

L. Hem
18/12/15
सरकार के सचिव।

सं.-14/जा0नि0-19-04/2007 का0.....
झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

राँची, दिनांक-/12/2015

विषय :परगहा (परिगाह)/पलीआर/पलीयार को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में क्रमांक-117 पर सम्मिलित परघा/परिघा/पैरघा जाति के कोष्ठक में शामिल करने के संबंध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि परगहा (परिगाह)/पलीआर/पलीयार जो परघा/परिघा/पैरघा की उपजाति है, को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-117 पर अंकित परघा/परिघा/पैरघा जाति के साथ कोष्ठक में सम्मिलित करने की परामर्श/सलाह देती है" के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धित की जाय।

परिवर्द्धित स्वरूप निम्न प्रकार है :-

क्रमांक-117 :- परघा/परिघा/पैरघा (परगहा (परिगाह)/पलीआर/पलीयार)।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रतन कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-14 / जा0नि0-19-04 / 2007 का.- 10759 / रांची, दिनांक 18/12/2015

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

र. उ. म।
18/12/15
सरकार के सचिव।